

Affairs Ministry, I think the Tribal Affairs Minister is here, if I am not wrong, is the nodal agency to see to it that this gets implemented by the States. We did not put the Forest Department as the nodal agency because we knew the mind of the Forest Department that it would not part with the forest land as well as the community forest. However, many officers of the Forest Department have been transferred by the States to the Tribal Affairs Ministry, who have a completely different attitude of not granting the land to the tribals as well as the forest dwellers.

Sir, many States have not even constituted a Committee, as far as the forest dwellers are concerned, because there is a condition put forth before the forest dwellers that they have to prove that they are living there since past three generations. The Tribal Affairs Ministry has interpreted this provision as if they have to prove that for the last 72 years, they are staying there. As a result, none of the forest dwellers, in a State like Gujarat or Rajasthan, is given a forest land despite the fact that they have been cultivating the land for years. I would also like to bring to the notice of the House another fact. Sir, Kaka Kalelkar Commission was appointed in 1952. Many of the people originally belonging to tribal community, were enumerated in the 1931 Census of the British as non-tribal because the princely State at that time told them that if they would write or tell the Commission that they were tribal, then, they would be required to marry their girls in still lower community, and, hence, they, in fact, are all in OBC community at present. So, they being original tribal people, enumerated as OBC, now have become the forest dwellers. The Government has ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. Now, Shri Naresh Agarwal. ...(*Interruptions*)... All the associations may be added.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री मोती लाल चोरा (छत्तीसगढ़): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Members of Parliament Adarsh Gram Yojana

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, इस सरकार ने सारे सांसदों को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि हर सांसद एक-एक गांव गोद ले। श्रीमन्, इसमें पहले तो शब्द ही बड़ा टिपिकल टाइप का था। करीब-करीब सभी

सांसदों ने एक-एक गांव छंटा, लेकिन सरकार ने आज तक यह नहीं बताया कि जो गांव हम गोद ले रहे हैं, जिसको हम चूज कर रहे हैं, उसका क्या डेवलपमेंट होगा, उसके लिए क्या नियम होंगे, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? श्रीमन्, एक प्रॉब्लम और पैदा हो गई है, हम तो राज्य सभा के हैं, लेकिन जो लोक सभा के एमपीज हैं, उनके सामने यह प्रॉब्लम पैदा हुई कि उनके पांच-पांच, सात-सात विधान सभा क्षेत्रों में अगर वे एक ही गांव गोद लेते हैं, तो फिर और गांव वाले कहते हैं, दूसरी विधान सभा के गांव वाले कहते हैं कि फिर वोट क्या उन्हीं से लगे, हमसे नहीं लगे? राज्य सरकार पहले ही इस तरह की योजना चला रही है, ऐसा नहीं है कि इस तरह की योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में "लोहिया ग्राम योजना" और "जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना" चल रही है, जिसमें एक-एक एमएलए एक कांस्टीट्यूएन्सी के दस-दस गांव ले रहे हैं, जिसमें गाइडलाइन भी है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, लेकिन इस सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं इश्यू की है। मैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप ही बता दें। आप ज्यादा योग्य हैं, इसलिए आप यह बता दें कि आखिर इस योजना का स्वरूप क्या है? आप गांव में क्या-क्या काम कराएंगे और उस काम के लिए पैसा कहां से आएगा और उसको आप कब तक रिलीज करेंगे? सर, आज मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट कर दिया कि फलां एमपी ने यह गांव गोद ले लिया, जिन्होंने नहीं लिया, उनकी आलोचना शुरू हो गई, तो लोगों ने और गांव गोद लेना शुरू कर दिया, शायद ही कुछ लोग छूटे हैं, लेकिन जब तक आप स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूँ कि चूंकि इतना पैसा केंद्र सरकार के पास है और आप गांव के विकास की बात करते हैं, इसलिए आप पूरे देश के गांव को गोद क्यों नहीं लेते हैं? यह मान कर चलिए कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक कंट्री का विकास नहीं होगा। आज जिस तरह गांव की आबादी शहर की तरफ भाग रही है, यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें और आपको इस पर बहुत चिंतित होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा।

श्रीमन्, मैं यह चाहता हूँ कि कम से कम सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्पष्ट करे कि उन गांवों का स्वरूप क्या होगा, विकास के मानक क्या-क्या होंगे, पैसा कहां-कहां से आएगा और उस क्षेत्र के और गांव का डेवलपमेंट इस सरकार में होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा, तो स्पष्ट बताया जाए, जिससे कंप्यूजन की स्थिति न रहे और लोगों को पता लग सके कि केंद्र जो योजना चला रहा है, वह वाकई में जनता से जुड़ी योजना है या खाली हवाई योजना है। मैं आपके माध्यम से यही बात सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। धन्यवाद।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री विजय गोयल (राजस्थान): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): सर, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. K. P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, all are supporting.

कुछ माननीय सदस्य : हम भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करते हैं।

श्री अली अनवर अंसारी : सर, इस संबंध में सरकार ने सांसदों से विचार-विमर्श नहीं किया। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति : भुंडर साहब, आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री अली अनवर अंसारी : सर, इस संबंध में सरकार ने ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति : भुंडर साहब, आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*... अंसारी जी, आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री अली अनवर अंसारी : सर ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't encroach upon his time. ...*(Interruptions)*...

श्री अली अनवर अंसारी : सर ...*(व्यवधान)*...

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): मुझे अपनी बात तो कह लेने दीजिए। ...*(व्यवधान)*... जो देश की सही प्रॉब्लम है, उसको तो सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ...*(Interruptions)*... Balwinder ji, please start.

श्री अली अनवर अंसारी : *

श्री उपसभापति : अंसारी जी, आप नाराज मत होइए, कृपया आप बैठिए । ...**(व्यवधान)**...

श्री अली अनवर अंसारी : *

श्री उपसभापति : भुंडर साहब, आप बोलिए । ...**(व्यवधान)**...

Low price for Basmati Rice in Western India

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): सर, मैं आपके जरिए देश की एक बहुत गंभीर समस्या, जो किसानों की है, उसे सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। इस साल बासमती की जो क्रॉप 1509 और 1121 है, उसके रेट पिछले साल के मुकाबले इस साल तकरीबन 25 परसेंट डाउन हो गए हैं। पिछले साल इसका रेट 4,000 से 4,500 तक था, लेकिन इस साल यह 2,000 से 2500 तक है। इतना रेट डाउन होने के कारण किसान बहुत निराश है। लास्ट ईयर क्रॉप अच्छी थी। पंजाब-हरियाणा में तकरीबन 10 परसेंट क्रॉप का एरिया बढ़ गया था। उससे वहां पानी की बचत थी, फर्टिलाइजर्स की बचत थी, टाइम की बचत थी और किसानों को फायदा था। इस दफा इस त्रासदी से नेक्स्ट ईयर क्रॉप फिर डाउन आ जाएगी, फिर पैडी पर किसान चला जाएगा। गवर्नमेंट का जो फॉरेन एक्सचेंज है, इससे उसका लॉस होगा, पैडी को उठाने की प्रॉब्लम भी आएगी। मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान के पीएम ने भी कहा है कि रेट डाउन होने के कारणों की पूरी रिपोर्ट मुझे दो, ताकि किसानों की फाइनेंशियल हेल्प की जा सके। इसलिए मैं आपके जरिए अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसान की मदद के लिए उसकी रिपोर्ट मँगवाई जाए और फिर किसान की हेल्प की जाए।

सर, मैं एक और बात यह कहना चाहता हूँ कि आज के क्वेश्चन में गवर्नमेंट का जो आंसर आया है, उसमें कहा गया है कि मार्जिनल प्राइस डाउन हुआ है, लेकिन वह मार्जिनल नहीं है। हम किसान हैं और यहां सभी किसान बैठे हैं। यह लास्ट ईयर 4,500 पर था, वह मिनिमम 4,000 था, लेकिन इस साल यह 2,500 पर आ गया है। इस प्रकार, इतना रेट डाउन आ गया है। कभी नैचुरल आपदा आ जाती है और कभी रेट डाउन हो जाता है, इसलिए किसान आज खुश नहीं है। जो किसान देश की रक्षा करने वाला था, उसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि वह सुसाइड कर लेगा। आज उस किसान की हालत यह है कि जब वह सुसाइड करता है, तो उस समय उसके पास कोई और चारा नहीं होता है। इसलिए मैं अपने पीएम साहब और गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूँ कि वे इन किसानों की मदद करें, क्योंकि ये देश के किसान हैं, बाहर के किसान नहीं हैं। ...**(समय की घंटी)**...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. C. TYAGI (Bihar): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. T. N. SEEMA (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.